



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112023-249950
CG-DL-E-08112023-249950

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 646]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945

No. 646]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 826(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) पांचवां संशोधन नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 के क्रम संख्यांक 115 और संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. क्यू-17012/1/2019-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 436 (अ), तारीख 14 जून, 2023 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2023

G.S.R. 826(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Fifth Amendment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, serial number 115 and the entries relating thereto, shall be omitted.

[F. No. Q-17012/1/2019-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note.—The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November 1986 and last amended, *vide* notification number G.S.R. 436(E), dated 14th June, 2023.